राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 11371 / 2001 / झुंझुनूं

1. रामकुमार पुत्र रामेश्वर
2. मनीराम पुत्र रामेश्वर
3. बलाराम पुत्र रामेश्वर
4. प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वर
5. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
6. सवाईसिंह पुत्र रामेश्वर (मृतक जरिये वारिसान)–

6 / 1. अणची देवी बेवा सवाईसिंह
6 / 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र सवाईसिंह
6 / 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सवाईसिंह
समस्त जाति माली निवासी निजामपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं

6 / 4. सरोज पुत्री सवाईसिंह पत्नी विजय कुमार
6 / 5. ललिता पुत्री सवाईसिंह पत्नी रामजीलाल
समस्त जाति माली निवासी भानावाला कुंआ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

6 / 7. सुमन पुत्री सवाईसिंह पत्नी पंकज कुमार
6 / 8. सुनीता पुत्री सवाईसिंह पत्नी मनोज कुमार
समस्त जाति माली निवासी कटकिया मोहल्ला गौशाला रोड वार्ड नंबर 12 चिडावा जिला झुंझूनू

7. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
8. शेरसिंह पुत्र रामेश्वर
9. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
समस्त जाति माली निवासी निजामपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं
10. श्रीमती संतोष पुत्री रामेश्वर पत्नी श्रवण कुमार जाति माली निवासी लाम्बा गोठडा तहसील चिडावा जिला झुंझूनू
11. श्रीमती संतरा पुत्री रामेश्वर पत्नी नानूराम जाति माली निवासी कंचनियों की ढाणी तन खेतडी जिला झुंझूनूं

....अपीलांट्स

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र सोहनलाल (मृतक) जरिये वारिसान

1 / 1. ताराचन्द पुत्र मनोहरलाल
1 / 2. मूलचन्द पुत्र मनोहरलाल
1 / 3. दीपचन्द पुत्र मनोहरलाल
1 / 4. बसन्ती देवी पत्नी मनोहरलाल
समस्त निवासी निजामपुरा तन ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुनू

1/5. धूमादेवी उर्फ सुमित्रा पुत्री मनोहरलाल पत्नी संतोष कुमार निवासी मण्ड्रेला (सागर की ढाणी) तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
1/6. मंजू देवी पुत्री मनोहरलाल पत्नी फूलचन्द निवासी वार्ड नंबर 20 पिलानी तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
1/7. गीता देवी पुत्री मनोहरलाल पत्नी रघुवीर सैनी निवासी भोमपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
1/8. बाला देवी पुत्री मनोहरलाल पत्नी शिवप्रसाद निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनू

2. नागरमल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी निजामपुरा तहसील व जिला झुंझुनू

3. श्रीमती मणी देवी पुत्री सोहनलाल (मृतक) जरिये वारिसान–
3/1. मोतीलाल पुत्र जुगल किशोर
3/2. महेन्द्र पुत्र जुगल किशोर
3/3. बुधराम पुत्र जुगल किशोर
3/4. भगवती पत्नी विधाधर
3/5. विकास पुत्र विधाधर
3/6. रामस्वरूप पुत्र विधाधर
3/7. सुमन पुत्री विधाधर
समस्त जाति माली निवासी वार्ड नंबर 19 इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू
3/8. बेबी पत्नी भागीरथमल
3/9. अमित पुत्र भागीरथ
3/10. पिकी पुत्री भागीरथ
समस्त जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू
3/11. मीरा देवी पत्नी मोटूराम निवासी चिडावा पटवर घर के पास तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
3/12. गीतादेवी पत्नी रामजीलाल निवासी पिलानी बिरला हाई सेकेण्डरी स्कूल के सामने वार्ड नंबर 10 तहसील पिलानी जिला झुंझुनू

4. श्रीमती नानडी देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी गोगाराम जाति माली निवासी वार्ड नंबर 5 झुंझुनू
5. सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल
6. सुलोचना पुत्री बाबूलाल एवं पत्नी निरंजनलाल
7. सुशीला पुत्री बाबूलाल एवं पत्नी विमलाप्रकाश
8. उर्मिला पुत्री बाबूलाल एवं पत्नी ओमप्रकाश
समस्त जाति महाजन निवासी बी 10/26 खेरागढ शांताकुज मुम्बई
9. पुरूषोत्तम लाल पुत्र बृजलाल जाति महाजन निवासी चिडावा जिला झुंझुनू हाल निवासी मार्फत विशम्भरलाल 7, भरत निवासी सोनावाला अग्यारी लेन पोस्ट महीम, मुम्बई (महाराष्ट्र)
10. शुभकरण पुत्र बृजलाल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी मार्फत

सुरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी सरिया गंज पोस्ट मुज्जफरपुर (बिहार)

11. निरंजनलाल पुत्र बृजलाल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी ब्लाक नंबर 7 फस्ट फ्लोर एम.एस. कॉलोनी कोटिक रोड, बोरीवल्ली (वेस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्र)
12. लक्ष्मीकान्त पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी 1810 कटरा घी तिलक बाजार दिल्ली
13. मुकेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद
14. दिनेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद
15. नवीन कुमार पुत्र शिवप्रसाद

    समस्त जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी 1010 कटरा घी तिलक बाजार दिल्ली
16. जीवन कुमार पुत्र बसन्तलाल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी पन्नालाल घोष बिल्डिग नरसिंह लेन मलाड वेस्ट 400064 मुम्बई(महाराष्ट्र)
17. भगवती प्रसाद पुत्र बसन्तलाल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल आबाद पन्नालाल घोष बिल्डिग नरसिंह लेन मलाड वेस्ट 400064 मुम्बई(महाराष्ट्र)
18. भजनलाल पुत्र जौहरीमल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी 4290 अन्नपूर्णा बिल्डिंग जे.बी.नगर अंधेरी ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
19. लोकनाथ पुत्र जौहरीमल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी बी–109 रेडियम अपार्टमेन्ट श्रीयास कॉलोनी आरे रोड गौरगांव (ईस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्र)
20. सज्जन कुमार पुत्र जोहरीमल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी बी–407 सहकार विला एस.बी.रोड मलाड वेस्ट मुम्बई
21. मानकचन्द पुत्र जौहरीमल (मृतक) जरिये वारिसान

21/1. मु0उषा देवी बेवा माणकचंद

21/2. नितिन कुमार पुत्र माणकचंद

21/3. शिखा पुत्री माणकचंद

    समस्त निवासी चिडावा हाल निवासी 109 रेडियम अपार्टमेन्ट श्रीयांत कॉलोनी आरे रोड गौरेगांव ईस्ट महाराष्ट्र

22. भरतकुमार पुत्र सांवलराम दत्तक पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी मार्फत नथमल राधेश्याम 67, एम.सी. क्लोथ मार्केट इन्दौर (मध्यप्रदेश)
23. सांवरमल पुत्र केदारमल
24. राधेश्याम पुत्र केदारमल
25. विमल कुमार पुत्र केदारमल

    समस्त जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी द्वारा नथमल राधेश्याम 67 एम.सी. क्लाथ मार्केट इन्दौर (मध्यप्रदेश)
26. किशोरीलाल पुत्र गौरीशंकर जाति महाजन निवासी चिडावा हाल निवासी बी–28 दलोम, तल्लालेन कलकत्ता
27. पुष्करलाल पुत्र श्योप्यारमल
28. सुशील कुमार पुत्र श्योप्यारमल

29. रमेश कुमार पुत्र श्योप्यारमल
30. पवन कुमार पुत्र श्योप्यारमल
समस्त जाति महाजन निवासी चिडावा जिला झुंझुनू

31. बनानसीलाल पुत्र ठाकरसीदास (मृतक) जरिये वारिसान–
31/1. मु0पार्वती पत्नी बनवारीलाल
31/2. पवन पुत्र बनवारीलाल
31/3. अनिल पुत्र बनवारीलाल
31/4. नीता पुत्री बनवारीलाल
समस्त निवासी मकान संख्या 1–7–513/1/4 दयाराम मार्केट जैमिस्तानुसार हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

32. लोकनाथ पुत्र ठाकरसीदास (मृतक) जरिये वारिसान–
32/1. मु0तारादेवी बेवा लोकनाथ महाजन
32/2. विनोद कुमार पुत्र लोकनाथ
32/3. पंकज कुमार पुत्र लोकनाथ
32/4. सुनीता पुत्री लोकनाथ
32/5. अनिता पुत्री लोकनाथ
32/6. कविता पुत्री लोकनाथ
समस्त निवासी केडिया साडी कटार रानीगंज जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

33. रमाकान्त पुत्र ठाकरसीदास जाति महाजन निवासी चिडावा जिला झुंझुनू हाल निवासी केडिया ताला कटार रामगंज जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

34. धापी देवी पुत्री सोहनलाल एवं पत्नी मुरारीलाल जाति माली निवासी सैनीपुरा मोहल्ला महेन्द्रगढ तहसील व जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

...रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.पी.सिंह चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
श्री प्रदीप विश्नोई, श्री हगामीलाल चौधरी एवं
श्री विजेन्द्र सिंह डिढारिया अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक : 10.08.2018**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) झुंझुनू द्वारा दिनांक 16–7–2001 को

एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर केम्प झुंझुनू द्वारा दिनांक 26–9–2001 को पारित निर्णयों व डिक्रीयों के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 एवं वादिया संख्या 6 मृतका श्रीमती शोभादेवी ने विचारण न्यायालय में एक राजस्व वाद मृतक रामेश्वर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 36 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थाई व्यादेश ग्राम ओजटू अवस्थित कृषि आराजीयात बाबत पेश किया था। वादीगण ने वाद पत्र में उल्लेख किया था कि तत्कालीन जागीरदार ओजटू ने वादग्रस्त भूमि कन्हैयालाल पुत्र गुलजार महाजन को माफी के रूप में दी थी, जिसमें उन्होंने धर्मशाला एवं खेलकोठे बनवाये थे तथा खसरा नंबर 552 की 5 बिस्वा में आबादी होना बताया था। खसरा नंबरान 533 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा भूमि को काश्त हेतु बतलाया था। कन्हैयालाल एवं उनके परिवार के सभी बंधु बांधव व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। कन्हैयालाल ने उपरोक्त आराजी काश्त हेतु वादीगण के पिता को बता दी। सोहनलाल उक्त भूमि में काश्त के बदले मवेशियों के लिए खेली भरते थे। वादीगण के पिता संवत् 2005 से वादग्रस्त आराजियात पर काश्त करते आ रहे हैं एवं उपरोक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 36 माफीदार कन्हैयालाल के वारिसान हैं, उनके नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पडा है। अपीलांट्स, प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान हैं। वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि मूल खातेदारान का स्वर्गवास हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 36 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाने पर वर्तमान अपीलांट्स के पूर्वज रामेश्वर ने मूल खातेदार के विरूद्ध इसी आराजी बाबत एक राजस्व वाद संख्या 90/91 रामेश्वर बनाम बाबूलाल वगैरह सहायक जिलाधीश, झुंझुनू के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलांट्स ने वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 36 में से कुछ को पक्षकार नहीं बनाया था, उस वाद में वर्तमान अपीलांट्स ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी फिर भी विद्वान सहायक जिलाधीश ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–5–91 के द्वारा मूल खातेदारान के विरूद्ध डिक्री हासिल कर ली तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 27–7–91 के जरिये राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, तब से वे राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त की गई यह डिक्री वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण ने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि अपीलांट्स ने खसरा नंबर 557 व 549 पर कई स्थानों पर छप्पर व टीनशेड आदि बना लिये हैं। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए एवं उक्त भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) झुंझुनू द्वारा मुकदमा नंबर 90/91 में दिनांक 13–5–91 को पारित निर्णय व डिक्री तथा तद्नुसार स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 16 बहक रामेश्वर को वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जाए। इसके अलावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई थी कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें तथा दौरान वाद यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं या किसी कानूनी वजह से उनका कब्जा माना जावे तो वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे।

2 (i) प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में दर्ज कथनों को अस्वीकार किया था। उनके मुताबिक हाल खसरा नंबर 21 तादादी 0.11 हेक्टर चाह पर प्रतिवादी का पम्पिंग सेट लगा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने उसे कनेक्शन दिया हुआ है, वही बिल अदा करता आ रहा है। अन्य खसरा नंबरान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से उसका कब्जा चला आ रहा है। हाल खसरा नंबरान का उसने अपने पुत्रों में विभाजन कर दिया है, जिसमें खसरा नंबर 13 में रामकुमार मय परिवार काबिज है। खसरा नंबर 18 में बलदेव उर्फ बलाराम, खसरा नंबर 19 में प्रभुदयाल, खसरा नंबर 14 में सवाईसिंह, खसरा नंबर 23 में बाबूलाल काबिज है। सोहनलाल का स्वर्गवास हुए करीब 23 वर्ष हो गये। सोहनलाल को सोनिया नहीं बोलते थे। मिसल हकीयत में जिस सोन्या का नाम बताया जा रहा है, वह सोन्या उर्फ सोना पुत्र दौला कस्बा चिडावा का निवासी है, जो कन्हैयालाल माफीदार का नौकर था। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का कोई हक नहीं है। यह भूमि ठिकाना ग्यांगासर ने कन्हैयालाल को माफी के रूप में दी थी। कन्हैयालाल ने धर्मशाला व जानवरों के पानी पीने के लिए खेल व कोठी बनाई थी ताकि आम जनता को सुविधा हो सके। माफी पुनर्ग्रहण हो जाने से अपीलांट्स विवादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये। पैमाइश के समय

माफीदारान गजानन्द, जोहरीमल, गोपाल लाल, ठाकुरसीदास, केदार, द्वारका प्रसाद के नाम का इन्द्राज गलत किया गया था। अपीलांट्स के पिता रामेश्वर व सोहनलाल संवत् 1995 में ही अलग हो गये थे। माफीदार का नाम राजस्व रिकार्ड में आ जाने से अपीलांट्स को एक राजस्व वाद माफीदार के विरूद्ध प्रस्तुत करना पडा, जो अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित हुआ है। कब्जा के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। दिनांक 13–5–91 को जारी डिक्री जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दी जाती, तब तक वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता है। वाद वादीगण मयाद बाहर है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज नहीं है। अतः दावा खारिज किया जाये। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 लगायत 8, 12 लगायत 18, 20 लगायत 30 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किये थे।

2 (ii) अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्न 8 तनकियात कायम की–

(1) क्या वादीगण विवादित आराजी गत आ0ख0नं0 533/1, 547/1 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 533/2, 549/2, 550/2 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 545–546 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 547/2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 548 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 549/1, 550/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0551 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0552 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 553 रकबा 9 बिस्वा, कुल किता 11 कुल रकबा 45 बीघा 18बिस्वा से बने हाल नं013 रकबा 1.09हे0, नं014 रकबा 0.57हे0, 15 रकबा 0.61हे0, 16 रकबा 0.68 हे0, 17 रकबा 1.20हे0, 18 रकबा 0.89हे0, नं019 रकबा 2.96हे0, नं020 रकबा 1.79 हे0, नं0 21 रकबा 0.13हे0, 22 रकबा 0.11हे0, नं023 रकबा 0.08हे0, नं0 24 रकबा 1.49हे0 कुल किता 12 कुल रकबा 11.60हे0 स्थित ग्राम निजामपुर (गत ग्राम ओजटू) तहसील चिडावा के खातेदार काश्तकार हैं।

(2) क्या न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) झुंझनू वाद सं0 90/91 बउनवान रामेश्वर बनाम बाबूलाल आदि का डिक्री व निर्णय दि0 13–5–91 व नामान्तरकरण संख्या 16 बहक रामेश्वर दि027–7–91 वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध शून्य प्रभावी है।

(3) क्या वादीगण, उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी हैं।

(4) क्या विवादित आराजी पर दावे के दिन व उससे पहले वादीगण का कब्जा नहीं रहने से वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है।

(5) क्या वादीगण का वाद मयाद बाहर होने के कारण काबिल खारिज है।

(6) क्या नामान्तरकरण निर्णय व डिक्री शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वादीगण का वाद काबिज खारिज है।

(7) क्या बिनाय दावे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है।

(8) अन्य परितोष

2 (iii) दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात वादीगण का वाद विचारण न्यायालय ने डिक्री करते हुए वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की घोषित की थी। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाने का भी आदेश दिया गया था। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाने की डिक्री भी दी गई थी। प्रतिवादीगण को स्थाई व्यादेश से भी प्रतिबंधित किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मौजूदा अपीलांट्स ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर केम्प झुंझुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 26–9–2001 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की दलील है कि आक्षेपित दोनों निर्णय तथ्यों व विधि के विरूद्ध हैं। वादीगण का वाद आदेश 6 नियम 2 व 3 सी.पी. सी. के तहत आवश्यक तत्वों के अभाव में भ्रमात्मक था। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 36 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के आधार पर डिक्री जारी की थी, जबकि वादीगण को अपना वाद स्वयं के कथनानुसार सिद्ध करना था। असल में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 36 के विरूद्ध अपीलांट्स का एक वाद दिनांक 13–5–91 को विद्वान सहायक जिलाधीश द्वारा डिक्री किया जा चुका है, जिसके अनुसार अपीलांट्स वाद

प्रस्तुत किये जाने की तारीख को वादग्रस्त भूमि के खातेदारान थे, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 36 के इकबाली जवाब दावों के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी, विशेष तौर से उस परिस्थिति में जबकि अपीलांट्स ने वादीगण के कथनों को अस्वीकार किया था। वादीगण ने वाद पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की किस धारा के तहत वे वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार हो चुके हैं। उन्होंने किसी भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी हैसियत को भी साबित नहीं किया। तनकी संख्या 1 का निर्णय साक्ष्य के आधार पर नहीं दिया गया तथा जिस प्रकार वह तनकी कायम की गई थी, उस प्रकार निर्णित भी नहीं की गई है। वादीगण यह साबित नहीं कर पाये कि वे माफीदार कन्हैयालाल के टीनेन्ट थे। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने के जो आधार दिये हैं, वे राजस्थान काश्तकारी आर्डिनेन्स के आधार पर दिये गये हैं, जो आगे चलकर लेप्स हो गया था। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 1 को कतई साबित नहीं कर पाये थे। अपीलांट्स का वाद दिनांक 13–5–91 को डिक्री हो जाने के बाद यह दूसरा वाद तब तक नहीं लाया जा सकता था, जब तक उक्त निर्णय व डिक्री तथा उसके अनुसरण में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को सक्षम न्यायालय से अपास्त नहीं करवा लिया जाता। विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय भी विधि अनुसार नहीं किया है। केवल विद्वान सहायक जिलाधीश द्वारा दिनांक 13–5–91 को पारित निर्णय से वादीगण के हक प्रभावित नहीं होना लिख दिया गया है, जबकि अपीलांट्स का यह ऐतराज था कि एक डिक्री पर दूसरी डिक्री जारी नहीं की जा सकती। तनकी संख्या 4 कायम करने का आशय यह था कि क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं ? वादीगण ने किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं किया कि वे वादग्रस्त भूमि पर काबिज थे। वादीगण का वाद पिथ एवं सबसटेन्स से बेदखली का नहीं था, फिर भी बेदखली की डिक्री पारित करके विद्वान विचारण न्यायालय ने अवैधानिकता की है। अनुतोष पेरा में मात्र इतना लिख देने से कि यदि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेवे तो वादीगण को कब्जा दिलाया जावे, इससे अपीलांट्स को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। वादीगण की प्लीडिंग्स से यह स्पष्ट था कि वादीग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण काबिज थे इसलिए तनकी संख्या 4 अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित

की जानी चाहिए थी। तनकी संख्या 5 बाबत विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया। तनकी संख्या 6 पर भी विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य व विधि अनुसार नहीं है। उनकी यह भी दलील है कि सोन्या उर्फ सोहनलाल वल्द दोला ग्राम चिडावा का रहने वाला था तथा वादीगण से उसका कोई संबंध नहीं था। उक्त व्यक्ति को प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में डी डब्ल्यू–6 के रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गलत अर्थ निकालते हुए जिस प्रकार डिक्री पारित की है, वह स्थिर रहने योग्य नहीं है। ये सभी तथ्य विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में भी बतला दिये गये थे किन्तु उनकी अपील भी क्षेत्राधिकार से परे जाकर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दी। तत्कालीन जागीरदार ने वादग्रस्त भूमियां कन्हैयालाल को माफी में दी थी। माफीदार से अपीलांट के पिता रामेश्वर ने 100/–रूपए प्रति वर्ष लगान पर संवत् 2002 में ली थी, तब से वह उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। माफीदार एवं रामेश्वर के मध्य काश्त का अनुबंध हो चुका था। माफी पुनर्ग्रहण के उपरान्त भी विवादित आराजीयात माफीदारों के नाम दर्ज रहने से उन्हें राजस्व वाद संख्या 90/91 दायर करना पडा, जो बाद में डिक्री हुआ। उक्त निर्णित वाद में प्रतिवादीगण महाजनों की ओर से आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना प्रस्तुत हुआ, वह भी विधि विरूद्ध रूप से न्यायालय ने स्वीकार किया था, जिसकी अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15 व 19 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के लिए लगान का अनुबंध साबित करवाना आवश्यक है। खातेदार को लगान देने के संबंध में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। लगान की सभी रसीदात प्रतिवादीगण/अपीलांट्स ने पेश की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राजस्व न्यायालय को अपने द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध वाद सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है और ना ही राजस्व न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय व डिक्री को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कर सकता है। ऐसा आदेश तो केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पी डब्ल्यू 2 सोहन व पी डब्ल्यू 3 बीरबल के बयानों का भी अध्ययन नहीं किया, उनके कथन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स काबिज है तथा उन्होंने मकानात भी बना रखे हैं। विवादित भूमि पर

विद्युत कनेक्शन भी अपीलांट्स के नाम था। साक्ष्य से यह भी साबित किया जा चुका है कि वादीगण का दादा किसना उर्फ दौला नहीं था अपितु सोहन पुत्र किसना अलग व्यक्ति था। मिसल हकीयत में जिस सोहन का नाम अंकित है, वह चिडावा का था एवं माफीदार कन्हैयालाल का नौकर था। वादीगण के पिता को ही सोहन के रूप में मानने में विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी में अंकित प्रविष्ठियों की व्याख्या भी सही नहीं की है। तनकी संख्या 4 को निर्णित करते समय यह नहीं देखा गया कि वादीगण के वाद में बेदखली का अनुतोष ही नहीं चाहा गया अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से मनमाने, अस्पष्ट एवं अविधिक हैं, जिन्हें अपास्त किया जाए तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाए। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) 2000 आरआरडी 95 नंदलाल बनाम राजस्व मण्डल– इस मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए केवलमात्र कब्जा साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है बल्कि ऐसा कब्जा एक 'टीनेन्ट' के रूप में होना चाहिए। मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती।

(2) 1995 आरआरडी 318 चन्द्राराम बनाम मांगू– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व न्यायालय स्वयं द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त नहीं कर सकती है। ऐसा अनुतोष प्राप्त करने के लिए या तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए या सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय/ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट दायर करके भी ऐसा अनुतोष लिया जा सकता है।

(3) 2001 डीएनजे (एस सी) 385 हफाजत हुसैन बनाम अब्दुल मजीद– इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कपटपूर्ण कार्यवाहियों में पारित समवर्ती निष्कर्षो को द्वितीय अपील में अपास्त किया जा सकता है।

(4) 2002 डीएनजे (एस सी) 561 यदाराव दाजिबा बनाम नैनीलाल हरकचंद– इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि दस्तावेजों का अशुद्ध अर्थ निकाला जाता है, तब भी समवर्ती निष्कर्षो को द्वितीय अपील में अपास्त किया जा सकता है।

(5) 1998 आरबीजे 411 सूज्या बनाम नाथूसिंह– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विकृत (peverse) हो, तब उन्हें द्वितीय अपील में अपास्त कर देना चाहिए।

(6) 2002 आरआरडी 618 गंगाधर बनाम मोती– इस मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वादी को अपना वाद स्वयं के अभिवचनों के अनुसार साबित करना चाहिए। वह इस बात का फायदा नहीं उठा सकता है कि प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(7) 2002 आरआरडी 483 दुर्जन बनाम मु0सरती– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया राजीनामा विधि सम्मत होना चाहिए।

(8) 1988 आरआरडी 143 मीरबक्ष बनाम रणछोडदास– इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को अपना निर्णय अभिवचनों के अनुरूप ही प्रदान करना चाहिए। न्यायालय स्वयं पक्षकारान के लिए कोई नया मामला नहीं बना सकता है।

(9) 2000 आरआरडी 518 चम्पा लाल बनाम मोहन लाल– इस मामले में वाद प्रस्तुत करने से 12 वर्ष पूर्व की अवधि में वादी स्वयं का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं कर पाया था। इसलिए उसका वाद खारिज कर दिया गया था।

(10) 2003 (1) आरआरटी 22 गोकुल चन्द बनाम रामसहाय– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि इकरारनामा धारी व्यक्ति धारा 88 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। व्यथित व्यक्ति इकरारनामा के विर्निदिष्ट पालन के लिए सिविल वाद पेश कर सकता है।

5. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनकी दलील है कि आक्षेपित दोनों निर्णय विधि सम्मत हैं, उनमें तथ्यात्मक एवं

विधिक त्रुटि नहीं है। वादीगण ने यह वाद संवत् 2012 से पूर्व अपना कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रस्तुत किया है। अपने पक्ष कथन के समर्थन में उन्होंने जमाबंदी मिसल हकीयत, गिरदावरी आदि सभी राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये हैं। वादीगण का पूर्वज सोहनलाल उर्फ सोन्या संवत् 1992 से लगातार भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा था एवं उपकृषक के रूप में उप जागीरदार/कृषक को लगान अदा कर रहा था। इस बात को स्वयं महाजनों ने अपने जवाब दावों में स्वीकार किया है। संवत् 2000 में लगान की एवज में धर्मशाला व टेनिस कोर्ट की देखरेख का जिम्मा सोहनलाल उर्फ सोन्या को ही दिया गया था एवं महाजनों ने अपने जवाब दावे में सोन्या व उसके परिवार का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। नकद अथवा लगान की एवज में किया गया कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (32) के अनुसार लगान अदा करना ही माना जाता है तथा वादीगण यह तथ्य अपनी साक्ष्य से साबित कर पाये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिन्हें विपरीत साक्ष्य के अभाव में अमान्य करार नहीं दिया जा सकता है। इस भूमि के संबंध में अपीलांट्स ने पूर्व निर्णय व डिक्री को लेकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था, वह निर्णय व डिक्री आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद अपास्त हो चुकी है तथा इस संबंध में अपीलांट्स की अपील माननीय मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। अतः निवेदन किया गया है कि अपील खारिज की जाए। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) 2001 (1) आरआरटी 33 भोमा बनाम दूदाराम– इस मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से वादी शिकमी काश्तकार के रूप में वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर रहा था परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया। इन परिस्थितियों में मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि गलत प्रविष्ठि के द्वारा जो बदलाव आया, वह अनाधिकृत था।

(2) 2002 (9) आरबीजे 3 मु0हरे कंवर बनाम स्टेट – इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय जो व्यक्ति टीनेन्ट या सब–टीनेन्ट के रूप में काबिज था, उसे खातेदार घोषित किया जा सकता है।

(3) 2000(7) आरबीजे 474 भोमा बनाम दूदाराम– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने वाले रोज जो व्यक्ति वार्षिक रजिस्टर में टीनेन्ट के रूप में दर्ज था, उसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर देने चाहिए।

(4) 1990 आरआरडी 456 गोकुल बनाम धापू– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 (32) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार नकद अथवा लगान की एवज में किया गया कार्य भी लगान ही माना जायेगा।

(5) 2016 (23) आरबीजे 374 प्रभुदयाल बनाम देवी सहाय– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि 2 न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हों तथा साक्ष्यों का उचित रूप से विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया हो, तब द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(6) 2016 (23) आरबीजे 482 सतपाल बनाम भागीरथ– इस मामले में भी राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सभी तथ्यों पर गौर करते हुए तनकीवार विवेचन किया गया हो एवं निष्कर्ष समवर्ती हो, तो द्वितीय अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होता।

6. उक्त तर्को–वितर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सादर अध्ययन किया गया।

7. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं उनकी ओर से प्रस्तुत की गई समस्त दलीलों पर भलीभांति विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है। उनके द्वारा निम्न तथ्य साबित माने गये हैं :–

(1) वादीगण का पूर्वज सोन्या उर्फ सोहनलाल वल्द दौला ग्राम ओजटू का रहने वाला था। सोन्या उर्फ सोहनलाल नामक जो व्यक्ति प्रतिवादीगण ने डी डब्ल्यू 6 के रूप में प्रस्तुत किया है, वह कोई और व्यक्ति है तथा उसका वादग्रस्त आराजीयात से संबंध नहीं है।

(2) मिसल बंदोबस्त एग्जीबिट 13 से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण का पूर्वज सोन्या उर्फ सोहनलाल वल्द दौला ही विवादित आराजी पर संवत् 1999

से 7 साल पहले से ही काश्त करता आ रहा था। इस प्रकार वर्ष 1947 से पूर्व से ही उसका कब्जा इस भूमि पर साबित है।

(3) संवत् 2009 से 2019 तक वादग्रस्त आराजीयात पर महाजनों का कब्जा राजस्व रिकार्ड में अंकित था किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 से 32 ने इकबालिया जवाब दावा में यह स्वीकार किया है कि वास्तव में कब्जा वादीगण के पूर्वज सोन्या माली का ही था। संवत् 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू हो गया था। उस रोज वादीगण का पूर्वज सोन्या का कब्जा काश्त बहैसियत काश्तकार मौका पर था, इसलिए वह इस भूमि का खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है।

(4) जिस डिक्री दिनांक 13–5–91 का अवलम्ब प्रतिवादी ने लिया है, उसके आधार पर जारी किये गये नामान्तरकरण से वादीगण के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वादीगण उस डिक्री में पक्षकार नहीं थे। प्रतिवादीगण ने उस वाद में केवल 18 पक्षकार बनाये थे तथा इस प्रकार 14 सह–खातेदारों को उस वाद में पक्षकार नहीं बनाया था।

(5) यदि वर्ष 1999 में वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा मान भी लिया जाता है, उस स्थिति में मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत वादीगण 12 साल की अवधि में वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर दिया था।

8. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से अर्थात् वर्ष 1947 से कब्जा होना साबित माना है तथा तद्नुसार वादीगण को खातेदारी की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी पाया गया है। उक्त निष्कर्ष निकालने में विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो साक्ष्य को misinterpret किया है और ना ही किसी साक्ष्य को ignore किया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी साक्ष्य की स्वतन्त्र रूप से विवेचना की है एवं विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षो में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई है। हालांकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तनकियात का पृथक–पृथक विवेचन नहीं किया है लेकिन उनके निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुद्दे पर अपना सुस्पष्ट अभिमत दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय से ऐसा प्रतीत

नहीं होता है कि प्रत्येक तनकी का निर्णय पृथक–पृथक नहीं देने से प्रतिवादी/अपीलांट्स के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों।

9. अपीलांट्स का मुख्य डिफेंस यह रहा है कि मौजूदा वाद संस्थित होने से पूर्व ही राजस्व न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 13–5–91 को खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री पारित कर दी गई थी, जिस कारण मौजूदा वाद धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत पूर्व न्याय की श्रेणी में आने से पोषणीय नहीं है। हालांकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त निर्णय व डिक्री वादीगण पर प्रभावी नहीं होने के विस्तृत कारण दर्ज किये हैं किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने के बाद एक development यह हुआ है कि दिनांक 13–5–91 को पारित उक्त निर्णय व डिक्री आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश होने दिनांक 26–9–2002 को अपील संख्या 41/02 में अपास्त की जा चुकी है। उस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील संख्या 5579/2002 पेश हुई थी, जिसकी बहस भी मौजूदा अपील के साथ सुनी गई थी तथा आज पृथक से लिखे गये निर्णय के अनुसार अपीलांट्स रामकुमार आदि की वह अपील खारिज कर दी गई है। इस प्रकार आज की स्थिति यह है कि दिनांक 13–5–91 के जिस निर्णय व डिक्री को प्रतिवादीगण ने अपने बचाव का आधार बताया है, वह डिक्री अब अस्तित्व में नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। इस द्वितीय अपील में विधि का कोई सारभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होना नहीं पाया जाता है।

10. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(वी0श्रीनिवास)
अध्यक्ष